न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी:– मूल चन्द आर.ए.एस

अपील संख्या 2017/00003 (72/2017)

1. लाभसिंह
2. गुलाबसिंह
3. गुरबचनसिह

पुत्रगण श्री गुरनामसिंह, जाति जटसिख, निवासीगण बेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ —अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी —रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ निर्णय दिनांक 16.12.2016 प्रकरण संख्या 04/2016

उपस्थिति:–
श्री वतनदीपसिंह मान, अभिभाषक अपीलांट
श्री खुशकरणसिह खोसा, राजकीय अधिवक्ता

दिनांक:–07.03.2019

निर्णय:–

1. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार टिब्बी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पेश किया। प्रार्थना–पत्र पेश कर चक 650 आरडी की भूमि को जोहड़ पायतन की भूमि बताते हुए उक्त भूमि से संबंधित आवंटन आदेश को निरस्त कर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में भिजवाने का निवेदन किया। अपर जिला कलक्टर ने अपने निर्णय दिनांक 19.01.2015 के द्वारा रेफरेंस प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिस पर पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा जो पुर्नावलोकन प्रार्थना–पत्र पेश किया है वह काबिले निरस्ती है क्योंकि पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र केवल लिपिकीय त्रुटि की हद तक ही किया जा सकता है। इसके द्वारा समस्त निर्णय को नही बदला जा सकता है। विवादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट के पिता को आवंटित हुई थी व उनकी मृत्यु के बाद अपीलाण्ट के नाम खातदारी दर्ज हो चुकी है। रस्पोडेण्ट को पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी नही है। अधिनस्थ न्यायलाय में प्रार्थना–पत्र देरी से प्रस्तुत किया गया था। मात्र स्टेट होने के कारण देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय को प्रार्थना–पत्र मियाद बिन्दू पर ही खारिज किया जाना चाहिए था। प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के नाम खातेदारी दर्ज भमि है व अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में है। पूर्व में दिनांक 19.01.2015 को रेफरेन्स की कार्यवाही ड्रोप की गई थी जो विधि सम्मत थी लकिन रेस्पोडेण्ट द्वारा पुनर्विलाकन प्रार्थना–पत्र प्रार्थना–पत्र पर दिनांक 16.12.2016 के द्वारा उक्त आदेश को निरस्त करते हुए रेफरेंस की कार्यवाही प्रारम्भ करने के आदेश दिये गये हैं, जिससे अपीलाण्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय का ज्ञान नहीं था। ज्ञान हाते ही अपील प्रस्तुत कर दी है। डिले कन्डोन की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2014 एस. सी. पेज 40, डीएनजे 2016 रेवेन्य पेज 48, डीएनजे 2008 एस सी पेज 715, सीसीसी 2013 (2) 296 एससी, सीसीसी 2014 (3) पेज 470 एससी, आरआरडी 2010

पेज 340, आरआरडी 2012 पज 487, आरआरडी 2012 पेज 131, आरआरडी 2012 पेज 231 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के तहत जोहड़ पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। साथ ही डीबी सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 के अनुसार इस तरह के प्रकरणों में भूमि की किस्म परिवर्तन को अवैध माना गया है व पूर्व की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया गया है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.01.2015 में रेफरेंस प्रार्थना–पत्र के साथ तत्समय की जमाबंदी जिसमें प्रश्नगत भूमि जोहड़ पायतन श्रेणी की है उसको अनदेखा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर सनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. अधिनस्थ न्यायालय में तहसीलदार टिब्बी के रेफरेंस प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 19.01.2015 को खारिज किया गया था। उसके उपरान्त पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ जिसमें अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया है। अपीलाण्ट का कथन है कि ववादग्रस्त भूमि अपीलाण्ट के पिता को आवटित हुई थी व उसके बाद उसकी खातदारी दर्ज हो चुकी है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नामान्तकरण पंजिका 650 आरडी तहसील टिब्बी की प्रति संलग्न है जिसमें प्रश्नगत भूमि गै0 मु0 जोहड़ी दर्ज है। यह भूमि अपीलाण्ट के पिता को आवंटित हुई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डीबी सिविल रिट 1536/2003 निर्णय दि0 02.08.2004 के बिन्दू सं0 3 के उप बिन्दू सं0 1 के आधार पर खारिज किया है। जिसके अनुसार 15.08.1947 को जिस भूमि पर ड्रेनेज चैनल जैसे नाला, नदी व सहायक नदी आदि हो उनको राजकीय भूमि घोषित किये जाने और यदि परिवर्तन 15.08.47 के बाद किया गया है तो उसको अवैध घोषित किये जाने साथ ही संबंधित अधिनियम एवं नियमों में संशोधन भी किये जाने के आदेश दिये गये हैं। इस न्यायालय का मत है राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 (3) के तहत जोहड़ पायतन की भूमि पर खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते। साथ ही डीबी सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 के अनुसार इस तरह के प्रकरणों में भूमि की किस्म परिवर्तन को अवैध माना गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय में ऐसी कोई विधि त्रूटि नहीं पाई जाती है जिसके आधार पर निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.12.2016 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 07.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

07/3/19

(मूलचन्द आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official